

कार्यालय निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़

आदेश क्रमांक 23/2001-2001-वि0 I (3) दिनांक चण्डीगढ़ 29-6-2001

~~दयाल सिंह पब्लिक स्कूल~~ ~~करनाल~~ को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से 12वीं स्तर की सम्बन्धित लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर जारी किया जाता है कि विद्यालय समय-समय पर जारी की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों का पालन कर रहेगा तथा हरियाणा विद्यालय शिक्षा एक्ट 1995 के जो नियम बनेंगे व विद्यालय को मान्य होंगे।


विभागीय हिदायतों की पालना न करने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस लिया जा सकता है।

आर.डी. श्योकंद  
निदेशक सैकण्डरी शिक्षा  
हरियाणा चण्डीगढ़

पृष्ठांकन क्रमांक सम दिनांक चण्डीगढ़ 29-6-2001

इसकी यह प्रति निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला शिक्षा अधिकारी करनाल को उनके पत्र क्रमांक 3-4/2001/50 दिनांक 4-6-2001 के सन्दर्भ में।
2. प्राचार्य / मुख्याध्यक्षक दयाल सिंह पब्लिक स्कूल करनाल
3. सचिव केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र कम्यूसिटी सेंटर प्रीत बिहार, नई दिल्ली- 11002.

  
अधीक्षक विद्यालय-1  
कृते निदेशक सैकण्डरी शिक्षा  
हरियाणा, चण्डीगढ़. 29/6